



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14032024-252990
CG-DL-E-14032024-252990

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 177]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 14, 2024/फाल्गुन 24, 1945

No. 177]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 14, 2024/PHALGUNA 24, 1945

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 मार्च, 2024

सा.का.नि. 190(अ).—केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1), उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (vii), धारा 6 की उपधारा (1), उपधारा (2) के खंड (ग) और खंड (घ), धारा 8, धारा 25 की उपधारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम को बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2024 कहा जाएगा।
(2) वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022 (जिसे इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 10 में: -

(क) उप-नियम (17) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्: -

“(17) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व प्रमाण-पत्रों के लिए उच्चतम और न्यूनतम कीमत तय करेगा जो नियम 13 के अधीन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा यथा निर्धारित विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व की पूर्ति न करने के लिए बाध्य इकाइयों पर लगाए जाने वाले पर्यावरणीय प्रतिकर के क्रमशः 100% और 30% के बराबर होगा।”;

(ख) उप-नियम (17) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(18) पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रीकृत इकाइयों के बीच विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र का विनिमय मूल्य उप-नियम (17) में निर्दिष्ट उच्चतम और निम्नतम कीमतों के बीच होगा।"

3. उक्त नियमों के नियम 13 में, उप-नियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(3) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इन नियमों का अनुपालन न करने की स्थिति में, अपशिष्ट बैटरी के नवीनीकरण और पुनर्चक्रण का काम करने वाले उत्पादकों और इकाइयों से पर्यावरणीय प्रतिकर लगाने और एकत्र करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार करेगा और सिफारिश करेगा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नियम 15 के अधीन गठित कार्यान्वयन समिति से परामर्श कर सकता है। अनुशंसित मार्गदर्शक सिद्धांत सहमति के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को प्रस्तुत किए जाएंगे।"

4. उक्त नियमों की अनुसूची-II में, -

(क) खंड (vi) और (vii) में, सारणी में, स्तंभ (5) के अधीन प्रविष्टियों में, "तथापि, अगले अनुपालन चक्र के लिए दस वर्ष के चक्र के दौरान प्रति वर्ष बाजार में रखी गई बैटरी की औसत मात्रा का 60% तक आगे बढ़ाया जा सकता है।" दोनों स्थानों पर आने वाले शब्दों और अंकों के स्थान "तथापि, लागू अनुपालन चक्र के दौरान बाजार में पेश की गई बैटरी की शेष मात्रा का 60% तक अगले अनुपालन चक्र में आगे बढ़ाया जा सकता है।" शब्दों और अंकों को रखा जाएगा;

(ख) खंड (viii) में, सारणी में, स्तंभ (5) के अधीन प्रविष्टियों में, "तथापि, अगले अनुपालन चक्र के लिए सात वर्ष के चक्र के दौरान प्रति वर्ष बाजार में रखी गई बैटरी की औसत मात्रा का 20% तक आगे बढ़ाया जा सकता है।" दोनों स्थानों पर आने वाले शब्दों और अंकों के स्थान पर "तथापि, लागू अनुपालन चक्र के दौरान बाजार में पेश की गई बैटरी की शेष मात्रा का 60% तक अगले अनुपालन चक्र में आगे बढ़ाया जा सकता है।" शब्दों और अंकों को रखा जाएगा;

(ग) खंड (ix), (x) और (xi) में, सारणी में, स्तंभ (5) के अधीन प्रविष्टियों में, "तथापि, अगले अनुपालन चक्र के लिए सात वर्ष के चक्र के दौरान प्रति वर्ष बाजार में रखी गई बैटरी की औसत मात्रा का 60% तक आगे बढ़ाया जा सकता है।" दोनों स्थानों पर, शब्दों और अंकों के स्थान पर "तथापि, लागू अनुपालन चक्र के दौरान बाजार में पेश की गई बैटरी की शेष मात्रा का 60% तक अगले अनुपालन चक्र में आगे बढ़ाया जा सकता है।" शब्दों और अंकों को रखा जाएगा;

(घ) खंड (xii) में, सारणी में, स्तंभ (5) के अधीन प्रविष्टियों में, "फिर भी, चौहर वर्षीय चक्र के दौरान बाजार में प्रति वर्ष रखी गई बैटरी की औसत मात्रा का 20% अगले अनुपालन चक्र में आगे ले जाया जा सकता है।" दोनों स्थानों पर, शब्दों और अंकों के स्थान पर "तथापि, लागू अनुपालन चक्र के दौरान बाजार में पेश की गई बैटरी की शेष मात्रा का 60% तक अगले अनुपालन चक्र में आगे बढ़ाया जा सकता है।" शब्दों और अंकों को रखा जाएगा;

(ङ) खंड (xii) में, सारणी में, क्रम संख्या (xiv) के पश्चात्, अंक "(viii)" के स्थान पर, अंक "(xv)" रखा जाएगा।

[फा. सं. 12/36/2019-एचएसएमडी]

नरेश पाल गंगवार, अपर सचिव

टिप्पणी: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में, संख्या एसओ 3984 (अ), तारीख 22 अगस्त, 2022 द्वारा प्रकाशित की गई थी और संख्या एस.ओ. 4669(अ) तारीख 25 अक्टूबर 2023 के द्वारा इसमें अंतिम बार संशोधन किया गया था।

**MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
NOTIFICATION**

New Delhi, the 14th March, 2024

G.S.R. 190(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1), clauses (v) and (vii) of sub-section (2) of section 3, sub-section (1), clauses (c) and (d) of sub-section (2) of section 6, section 8, clause (b) of sub-section (2) of section 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Battery Waste Management Rules, 2022, namely:-

1. (1) These rules may be called the Battery Waste Management (Amendment) Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Battery Waste Management Rules, 2022 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 10: —

(a) for sub-rule (17), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

“(17) The Central Pollution Control Board shall fix the highest and the lowest price for Extended Producer Responsibility certificates which shall be equal to 100% and 30%, respectively of the Environmental Compensation leviable on the obligated entities for non-fulfilment of Extended Producer Responsibility obligations as determined by the Central Pollution Control Board under rule 13.”;

(b) after sub-rule (17), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

“(18) The exchange price of Extended Producer Responsibility certificate between registered entities through the portal shall be between the highest and the lowest prices referred to in sub-rule (17).”.

3. In rule 13 of the said rules, for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

“(3) The Central Pollution Control Board shall prepare and recommend guidelines for imposition and collection of Environmental Compensation from producers and entities involved in refurbishment and recycling of waste battery, in case of non-compliance of these rules. The Central Pollution Control Board may consult the Committee for Implementation constituted under rule 15. The recommended guidelines shall be submitted to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for concurrence.”.

4. In Schedule -II to the said rules, —

- (a) in clauses (vi) and (vii), in the table, in the entries under column (5), for the words and figure “However, there may be a carry forward of up to 60% of the average quantity of Battery placed in the market per year during the ten year cycle to the next compliance cycle.” occurring at both the places, the words and figure “However, up to 60% of the remaining quantity of battery placed in the market during the applicable compliance cycle may be carried forward to the next compliance cycle.” shall be substituted;
- (b) in clause (viii), in the table, in the entries under column (5), for the words and figure “However, there may be a carry forward of up to 20% of the average quantity of Battery placed in the market per year during the seven year cycle to the next compliance cycle.” occurring at both the places, the words and figure “However, up to 60% of the remaining quantity of battery placed in the market during the applicable compliance cycle may be carried forward to the next compliance cycle.” shall be substituted;
- (c) in clauses (ix), (x) and (xi), in the table, in the entries under column (5), for the words and figure “However, there may be a carry forward of up to 60% of the average quantity of Battery placed in the market per year during the seven year cycle to the next compliance cycle.” occurring at both the places, the words and figure “However, up to 60% of the remaining quantity of battery placed in the market during the applicable compliance cycle may be carried forward to the next compliance cycle.” shall be substituted;
- (d) in clause (xii), in the table, in the entries under column (5), for the words and figure “However, there may be a carry forward of up to 60% of the average quantity of Battery placed in the market per year during the fourteen year cycle to the next compliance cycle.” occurring at both the places, the words and figure “However, up to 60% of the remaining quantity of battery placed in the market during the applicable compliance cycle may be carried forward to the next compliance cycle.” shall be substituted;
- (e) in clause (xii), in the table, after Sl.No. (xiv), for the figure “(viii)”, the figure “(xv)” shall be substituted.

[F. No. 12/36/2019-HSMD]

NARESH PAL GANGWAR, Addl. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 3984(E), dated the 22nd August, 2022 and last amended, vide number S.O. 4669(E) dated the 25th October, 2023.